

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :- 1544 / 2025
उत्पन्न महिला थाना कांड संख्या:- 31 / 2025

1. देवेन्द्र मेहता, उम्र करीब 50 वर्ष, पिता-स्व० जामुन मेहता
2. गीता देवी, उम्र करीब 55 वर्ष, पति- रतन लाल मेहता
3. बबीता देवी, उम्र करीब 40 वर्ष, पति- रविशंकर मेहता
4. अनिल कुमार, उम्र करीब 29 वर्ष, पिता- रतनलाल मेहता
सभी साकिन- कोदवाड़ा लाल मनपट्टी, वार्ड नं०-04, थाना- रतनपुरा
जिला- सुपौल
5. शिवनंदन मेहता, उम्र करीब 42 वर्ष, पिता- श्याम सुन्दर मेहता
सा०-गढ़िया, थाना- सरायगढ़, जिला- सुपौल

जमानत आदेश

26-03-2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन जो आवेदक 1. देवेन्द्र मेहता 2. गीता देवी 3. बबीता देवी 4. अनिल कुमार एवं 5. शिवनंदन की ओर से दाखिल किया गया है, को विगत कई तिथियों से प्रचालित नहीं किया जा रहा है। आज भी जमानत आवेदन को प्रचालित करने हेतु पुकार किये जाने पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि जमानत आवेदन को प्रचालित करने में आवेदक की अभिरुचि प्रतीत नहीं हो रही है।

तदनुसार अग्रिम जमानत आवेदन को अप्रचालन के आधार पर निष्पादित किया जाता है।



लेखापित *Satish Kumar*
26.03.26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या०-2, मधेपुरा।